संख्या- 220 /2021/ 2267 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2021**

विषयः- 'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं 'चौरी-चौरा शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत दिनांक 09 से 16 अगस्त, 2021 तक कराये गये कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3107 /सं0नि0-15(52)/2020-21 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं 'चौरी-चौरा शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत दिनांक 09 अगस्त, 2021 से 16 अगस्त, 2021 तक कराये गये कार्यक्रम के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव रू0 97,05,042.00 पर सम्यक् विचारोपरान्त रू0 88,05,042.00 (रूपये अट्ठासी लाख पांच हजार बयालिस मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति में राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के प्रस्ताव की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी तथा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

4- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 220 /2021/ 2267 (1) /चार-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in